रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

**हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित**

शिमला, बुधवार, 26 मार्च, 2003/5 चैत्र, 1925

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय**

**अधिसूचना**

शिमला–4, 26 मार्च, 2003

संख्या: वि0 स0-विधायन-अंतरिम बजट/1-21/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक–2) जो आज

4326–राजपत्र/2003–26–3–2003––1,386.  मूल्य : एक रुपया।

दिनांक 26 मार्च, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा ।

**2003 का विधेयक संख्यांक 2**

# हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के निकालने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2003 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए 22,15,09,63,000 रुपए की राशि निकालना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां जिनका योग 22,15,09,63,000 रुपये (बाईस अरब, पन्द्रह करोड़ नौ लाख तरेसठ हजार रुपये) है, वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अप्रैल से जुलाई मास की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित संदायों के विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए निकाली जाए।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का विनियोग, अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जाएगा।

## अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | | |
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा दत्तमत | संचित निधि पर प्रभारित | जोड़ |
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 1 | विधान सभा | (राजस्व) | 1,82,05,000 | 4,89,000 | 1,86,94,000 |
| | | (पूंजी) | 50,00,000 | — | 50,00,000 |
| 2 | राज्यपाल और मन्त्रीपरिषद् | (राजस्व) | 1,21,92,000 | 47,54,000 | 1,69,46,000 |
| 3 | न्याय प्रशासन और | (राजस्व) | 9,24,92,000 | 2,03,82,000 | 11,28,74,000 |
| | निर्वाचन | (पूंजी) | 43,67,000 | — | 43,67,000 |
| 4 | सामान्य प्रशासन | (राजस्व) | 15,20,66,000 | 69,65,000 | 15,90,31,000 |
| | | (पूंजी) | 10,00,000 | — | 10,00,000 |
| 5 | भू–राजस्व | (राजस्व) | 45,26,15,000 | — | 45,26,15,000 |
| | और जिला प्रशासन | (पूंजी) | 4,50,000 | — | 4,50,000 |
| 6 | आबकारी और कराधान | (राजस्व) | 4,86,25,000 | — | 4,86,25,000 |
| | | (पूंजी) | 67,000 | — | 67,000 |
| 7 | पुलिस और सम्बद्ध | (राजस्व) | 58,60,15,000 | 1,33,000 | 58,61,48,000 |
| | संगठन | (पूंजी) | 32,33,000 | — | 32,33,000 |
| 8 | शिक्षा | (राजस्व) | 2,82,69,96,000 | — | 2,82,69,96,000 |
| | | (पूंजी) | 4,39,48,000 | — | 4,39,48,000 |
| 9 | स्वास्थ्य और परिवार | (राजस्व) | 83,47,48,000 | — | 83,47,48,000 |
| | कल्याण | (पूंजी) | 4,99,44,000 | — | 4,99,44,000 |
| 10 | लोक निर्माण–भवन | (राजस्व) | 42,48,62,000 | — | 42,48,62,000 |
| | | (पूंजी) | 1,79,00,000 | — | 1,79,00,000 |
| 11 | कृषि | (राजस्व) | 25,18,36,000 | — | 25,18,36,000 |
| | | (पूंजी) | 12,09,25,000 | — | 12,09,25,000 |
| 12 | उद्यान | (राजस्व) | 18,29,96,000 | — | 18,29,96,000 |
| | | (पूंजी) | 2,58,40,000 | — | 2,58,40,000 |
| 13 | सिंचाई और बाढ़ | (राजस्व) | 27,66,82,000 | — | 27,66,82,000 |
| | नियंत्रण | (पूंजी) | 15,89,29,000 | — | 15,89,29,000 |
| 14 | पशुपालन, दुग्ध | (राजस्व) | 21,38,57,000 | 1,92,000 | 21,40,49,000 |
| | विकास एवं मत्स्य | (पूंजी) | 36,69,000 | — | 36,69,000 |
| 15 | योजना एवं पिछड़ा | (राजस्व) | 39,84,80,000 | — | 39,84,80,000 |
| | क्षेत्र उप–योजना | (पूंजी) | 6,86,53,000 | — | 6,86,53,000 |
| 16 | वन और वन्य जीवन | (राजस्व) | 1,13,89,14,000 | — | 1,13,89,14,000 |
| | | (पूंजी) | 35,33,000 | — | 35,33,000 |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 17 | सड़कें और पुल (राजस्व) | 75,72,65,000 | — | 75,72,65,000 |
| | (पूंजी) | 64,00,24,000 | — | 64,00,24,000 |
| 18 | आपूर्ति, उद्योग और (राजस्व) | 10,55,81,000 | — | 10,55,81,000 |
| | खनिज (पूंजी) | 2,33,000 | — | 2,33,000 |
| 19 | सामाजिक सुरक्षा और (राजस्व) | 37,42,66,000 | — | 37,42,66,000 |
| | कल्याण (पोषाहार सहित) (पूंजी) | 95,57,000 | — | 95,57,000 |
| 20 | ग्रामीण विकास (राजस्व) | 26,52,48,000 | — | 26,52,48,000 |
| | (पूंजी) | — | — | — |
| 21 | सहकारिता (राजस्व) | 3,83,90,000 | — | 3,83,90,000 |
| | (पूंजी) | 1,37,16,000 | — | 1,37,16,000 |
| 22 | खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व) | 3,51,84,000 | — | 3,51,84,000 |
| | (पूंजी) | 38,25,000 | — | 38,25,000 |
| 23 | जल और विद्युत (राजस्व) | 40,55,13,000 | — | 40,55,13,000 |
| | विकास (पूंजी) | 56,41,67,000 | — | 56,41,67,000 |
| 24 | मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व) | 2,82,85,000 | — | 2,82,85,000 |
| | (पूंजी) | 1,67,000 | — | 1,67,000 |
| 25 | सड़क और जल परिवहन (राजस्व) | 10,27,24,000 | — | 10,27,24,000 |
| | (पूंजी) | 4,00,00,000 | — | 4,00,00,000 |
| 26 | पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व) | 1,17,78,000 | — | 1,17,78,000 |
| | (पूंजी) | 28,33,000 | — | 28,33,000 |
| 27 | श्रम, रोजगार और (राजस्व) | 6,59,97,000 | — | 6,59,97,000 |
| | प्रशिक्षण (पूंजी) | 27,34,000 | — | 27,34,000 |
| 28 | जलापूर्ति, सफाई, आवास (राजस्व) | 91,18,48,000 | — | 91,18,48,000 |
| | और नगर विकास (पूंजी) | 38,82,16,000 | — | 38,82,16,000 |
| 29 | वित्त (राजस्व) | 1,77,42,08,000 | 4,63,08,14,000 | 6,40,50,22,000 |
| | (पूंजी) | 3,70,00,000 | 1,58,85,80,000 | 1,62,55,80,000 |
| 30 | विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व) | 6,00,84,000 | — | 6,00,84,000 |
| | (पूंजी) | 67,12,000 | — | 67,12,000 |
| 31 | जनजातीय विकास (राजस्व) | 59,51,21,000 | — | 59,51,21,000 |
| | (पूंजी) | 23,89,39,000 | — | 23,89,39,000 |
| | कुल जोड़ | 15,89,86,54,000 | 6,25,23,09,000 | 22,15,09,63,000 |
| | (राजस्व) | 13,44,30,73,000 | 4,66,37,29,000 | 18,10,68,02,000 |
| | (पूंजी) | 2,45,55,81,000 | 1,58,85,80,000 | 4,04,41,61,000 |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 और 204 के अधीन विहित प्रक्रिया के पूर्ण होने तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 206 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अप्रैल से जुलाई माह के लिए अपेक्षित धन के ऐसे व्यय को जो संचित निधि पर प्रभारित है और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्यय को पूरा करने के लिए निकालने का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है । मांगे गये धन में वर्ष 2003–2004 की वस्तुतः नई स्कीमों का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

नियमित बजट विधान सभा द्वारा जुलाई, 2003 में भारित किया जाना है । अतः अप्रैल से जुलाई, 2003 के लिए लेखा अनुदान अभिप्राप्त किया जा रहा है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
दिनांक : 26 मार्च, 2003.

---

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

**[वित्त विभाग, फाईल संख्या वित्त–ए–सी (1)–1/2003 )]**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2003 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 2 of 2003**

# THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year 2003-2004.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

**1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2003.

Withdrawal of Rs. 22,15,09,63,000 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2003-2004.

**2.** From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 22,15,09,63,000/- (Twenty two hundred and fifteen crores, nine lakhs and sixty three thousand rupees) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the months of April to July of the financial year 2003-2004 in respect of the services specified in column 2 of the schedule.

Appropriation.

**3.** The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentined in section 2 of the Act.

## THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sums not exceeding | | |
| Demand No. | Services and purposes | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
| | | Rs. | Rs. | Rs. |
| 1 | Vidhan Sabha (Revenue) | 1,82,05,000 | 4,89,000 | 1,86,94,000 |
| | (Capital) | 50,00 000 | — | 50,00,000 |
| 2 | Governor and (Revenue) | 1,21,92,000 | 47,54,000 | 1,69,46,000 |
| | Council of Ministers (Capital) | — | — | — |
| 3 | Administration of (Revenue) | 9,24,92,000 | 2,03,82,000 | 11,28,74,000 |
| | Justice and Election (Capital) | 43,67,000 | — | 43,67,000 |
| 4 | General Adminis- (Revenue) | 15,20,66,000 | 69,65,000 | 15,90,31,000 |
| | tration (Capital) | 10,00,000 | — | 10,00,000 |
| 5 | Land Revenue (Revenue) | 45,26,15,000 | — | 45,26,15,000 |
| | and District Adminis-(Capital) | 4,50,000 | — | 4,50,000 |
| | tration | | | |
| 6 | Excise and Taxation(Revenue) | 4,86,25,000 | — | 4,86,25,000 |
| | (Capital) | 67,000 | — | 67,000 |
| 7 | Police and Allied (Revenue) | 58,60,15,000 | 1,33,000 | 58,61,48,000 |
| | Organisations (Capital) | 32,33,000 | — | 32,33,000 |
| 8 | Education (Revenue) | 2,82,69,96,000 | — | 2,82,69,96,000 |
| | (Capital) | 4,39,48,000 | — | 4,39,48,000 |
| 9 | Health and Family (Revenue) | 83,47,48,000 | — | 83,47,48,000 |
| | Welfare (Capital) | 4,99,44,000 | — | 4,99,44,000 |
| 10 | Public Works- (Revenue) | 42,48,62,000 | — | 42,48,62,000 |
| | Buildings (Capital) | 1,79,00,000 | — | 1,79,00,000 |
| 11 | Agriculture (Revenue) | 25,18,36,000 | — | 25,18,36,000 |
| | (Capital) | 12,09,25,000 | — | 12,09,25,000 |
| 12 | Horticulture (Revenue) | 18,29,96,000 | — | 18,29,96,000 |
| | (Capital) | 2,58,40,000 | — | 2,58,40,000 |
| 13 | Irrigation and Flood(Revenue) | 27,66,82,000 | — | 27,66,82,000 |
| | Control (Capital) | 15,89,29,000 | — | 15,89,29,000 |
| 14 | Animal Husbandry, (Revenue) | 21,38,57,000 | 1,92,000 | 21,40,49,000 |
| | Dairy Development (Capital) | 36,69,000 | — | 36,69,000 |
| | and Fisheries | | | |
| 15 | Planning and Back-(Revenue) | 39,84,80,000 | — | 39,84,80,000 |
| | ward area Sub-Plan (Capital) | 6,86,53,000 | — | 6,86,53,000 |
| 16 | Forest and Wild Life(Revenue) | 1,13,89,14,000 | — | 1,13,89,14,000 |
| | (Capital) | 35,33,000 | — | 35,33,000 |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. | Rs. |
| 17 | Roads and Bridges (Revenue) | 75,72,65,000 | — | 75,72,65,000 |
| | (Capital) | 64,00,24,000 | — | 64,00,24,000 |
| 18 | Supplies, Industries (Revenue) | 10,55,81,000 | — | 10,55,81,000 |
| | and Minerals (Capital) | 2,33,000 | — | 2,33,000 |
| 19 | Social Security and (Revenue) | 37,42,66,000 | — | 37,42,66,000 |
| | Welfare (including (Capital) | 95,57,000 | — | 95,57,000 |
| | Nutrition) | | | |
| 20 | Rural Development (Revenue) | 26,52,48,000 | — | 26,52,48,000 |
| | (Capital) | — | — | — |
| 21 | Co-operation (Revenue) | 3,83,90,000 | — | 3,83,90,000 |
| | (Capital) | 1,37,16,000 | — | 1,37,16,000 |
| 22 | Food and Ware (Revenue) | 3,51,84,000 | — | 3,51,84,000 |
| | housing (Capital) | 38,25,000 | — | 38,25,000 |
| 23 | Water and Power (Revenue) | 40,55,13,000 | — | 40,55,13,000 |
| | Development (Capital) | 56,41,67,000 | — | 56,41,67,000 |
| 24 | Printing and (Revenue) | 2,82,85,000 | — | 2,82,85,000 |
| | Stationery (Capital) | 1,67 000 | — | 1,67,000 |
| 25 | Road and Water (Revenue) | 10,27,24,000 | — | 10,27,24,000 |
| | Transport (Capital) | 4,00,00,000 | — | 4,00,00,000 |
| 26 | Tourism and Civil (Revenue) | 1,17,78,000 | — | 1,17,78,000 |
| | Aviation (Capital) | 28,33,000 | — | 28,33,000 |
| 27 | Labour, Employ- (Revenue) | 6,59,97,000 | — | 6,59,97,000 |
| | ment and Training (Capital) | 27,34,000 | — | 27,34,000 |
| 28 | Water Supply, (Revenue) | 91,18,48,000 | — | 91,18,48,000 |
| | Sanitation, Housing (Capital) | 38,82,16,000 | — | 38,82,16,000 |
| | and Urban Develop- | | | |
| | ment | | | |
| 29 | Finance (Revenue) | 1,77,42,08,000 | 4,63,08,14,000 | 6,40,50,22,000 |
| | (Capital) | 3,70,00,000 | 1,58,85,80,000 | 1,62,55,80,000 |
| 30 | Miscellanceous (Revenue) | 6,00,84,000 | — | 6,00,84,000 |
| | General Services (Capital) | 67,12,000 | — | 67,12,000 |
| 31 | Tribal Development (Revenue) | 59,51,21,000 | — | 59,51,21,000 |
| | (Capital) | 23,89,39,000 | — | 23,89,39,000 |
| | Grand Total | 15,89,86,54,000 | 6,25,23,09,000 | 22,15,09,63,000 |
| | (Revenue) | 13,44,30,73,000 | 4,66,37,29,000 | 18,10,68,02,000 |
| | (Capital) | 2,45,55,81,000 | 1,58,85,80,000 | 4,04,41,61,000 |

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly for the months of April to July, 2003 of the Financial year 2003-2004 pending the completion of the procedure prescribed in articles 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes for the year 2003-2004.

The regular Budget is to be passed by the Legislative Assembly in July, 2003. As such the vote on account is being obtained for April to July, 2003.

VIRBHADRA SINGH,
*Chief Minister.*

SHIMLA :
*The 26th March, 2003.*

---

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[FINANCE DEPARTMENT FILE NO. FIN. A-C. (1)-1/2003]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 2003, recommends, under Article 207 of the Constitution of India the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

*नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र. द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।*